संख्या- 11/2026/1202849/सात-न्याय-9(बजट)-2026- 07-9099/12/2025

प्रेषक,

उदय प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आजमगढ, हमीरपुर, सम्भल एवं कुशीनगर।

न्याय अनुभाग-9 (बजट) **लखनऊ दिनांक 13 जनवरी, 2026**

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने से संबंधित पत्र संख्या-1458/न्याय सहायक-2025-26 दि0 09.12.2025, पत्र संख्या-262/जे0ए0-उन्नीस-शा0अधि0पारि0बजट(2025-26) दिनांक 11.12.2025, पत्र संख्या-724/न्याय सहायक/वित्तीय स्वीकृति/ 2025 दिनांक 24.11.2025, एवं 1439/न्याय सहा0-2025 दि0 31.12.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-42 के अधीन लेखाशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन-114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)-04-विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता के अन्तर्गत 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में भुगतान हेतु अतिरिक्त बजट आवंटित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-120/2025/933866/सात-न्याय-9(बजट)-2025-07-9002/1/2025 दि0 10.04.2025 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-42 के अधीन मानक मद 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में रू0 3708.00 लाख की धनराशि व्यय हेतु प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी के निवर्तन पर रक्षित है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दि0 10 अप्रैल 2025 द्वारा प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी के निवर्तन पर रक्षित उक्त धनराशि में से निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लिखित जनपद के सम्मुख कालम-7 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 130.00 लाख (रूपये एक करोड़ तीस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

जिलाधिकारी

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	मानक संख्या एवं मद	प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी के निवर्तन पर रक्षित धनराशि	जिलाधिकारी हेतु पूर्व में आवंटित धनराशि	वांछित धनराशि	आवंटित धनराशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	आजमगढ	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3708.00	250.00	50.00	20.00
2	हमीरपुर	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3708.00	65.00	25.00	25.00
3	सम्भल	16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3708.00	20.00	45.00	45.00
4	कुशीनगर	16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3708.00	65.00	50.00	40.00
	योग-				170.00	130.00

1- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी ।

2- स्वीकृत धनराशि का उपयोग दि0 31.03.2026 तक अवश्य कर लिया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

4-शासनादेश सं0-120/2025/933866/सात-न्याय-9(बजट)-2025-07-9002/1/2025 दिनांक 10.04.2025 में निहित शर्ते यथावत् रहेंगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन-114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)-04-विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता के उपरोक्त मानक मदों के नामें डाला जाये।

5- वित्त(आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

उदय प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव

संo- 11/2026/1202849 (1)/सात-न्याय-9(बजट)-2026, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 प्रयागराज।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, दशम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट- आजमगढ, हमीरपुर, सम्भल एवं कुशीनगर।
6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।
7- श्री पीयूष कुमार, उपसचिव एवं नोडल अधिकारी (बजट एलाटमेन्ट)।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
9- गार्डबुक न्याय-9(बजट)।

आज्ञा से,

मुकेश कुमार सिंह-।।
विशेष सचिव।